प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–21.07.2023 (सं0–349)

महिला हेल्प डेस्क

राज्य सरकार के दिशा निर्देश में कमजोर वर्ग के उत्थान, संरक्षण तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में पीड़ितों को न्याय दिलाने, कल्याण, मनोवैज्ञानिक अध्ययन के उपरान्त परामर्श उनके पुनर्वासन, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर राज्य की पुलिस के द्वारा प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक कार्य किये गये हैं।

विशेषकर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान तथा पीड़ित महिलाओं को ससमय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार पुलिस का कमजोर वर्ग प्रभाग निरन्तर प्रयासरत है। कमजोर वर्ग के अन्तर्गत महिला अपराध कोषांग का गठन किया गया।

दिनांक 26.02.2023 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा विधिवत महिला हेल्प डेस्क का राज्य स्तर पर उदघाटन किया गया है।

महिला हेल्प डेस्क से सम्बन्धित जानकारियाँ तथा उपलब्धियाँ

1. बिहार के **पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल उनके सुलभ पहुँच के योग्य बनाने**, वांछित सहयोग प्रदान करने तथा महिलाओं से सम्बन्धित विषयों के निष्पादन हेतु प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में राज्य के थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित है जो **24 घण्टे कार्यरत हैं।**

2. राज्य में अब तक प्रथम चरण में 500 एवं द्वितीय चरण में 350 अर्थात **कुल 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना** की गयी है।

3. कुल 850 महिला हेल्प डेस्क में **475 महिला पुलिस पदाधिकारी एवं 1982 महिला** पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त हैं। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्गत SOP के अनुरूप **विशेष रूप से प्रशिक्षत** किया गया है।

4. राज्य के 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क के स्थापित होने के पश्चात अभी तक कुल **19666 महिलाएँ अपनी समस्याओं को लेकर महिला हेल्प डेस्क में गयी हैं**, जिसमें **5382 मामलों में प्राथमिकी अंकित कर अनुसंधान** किया जा रहा है, **1314 मामलों को अन्य विभागों के पास अग्रसारित** किया गया है तथा **12970 मामलों में असंज्ञेय/निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है।**

5. **महिला परामर्श केन्द्र**–घरेलू हिंसा एवं महिला प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर "महिला परामर्श केन्द्र" की शुरुआत की गयी है। परामर्श केन्द्र में महिला विकास निगम, बिहार सरकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के द्वारा प्रतिनियुक्त परामर्शियों के द्वारा सफल परामर्श दिया जा रहा है।

कमजोर वर्ग प्रभाग के द्वारा कराये गये प्रशिक्षण

1. महिला सुरक्षा से सम्बन्धित 05 दिवसीय प्रशिक्षण का 06 कोर्स क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालयों में काण्ड के अनुसंधानकों को तिथिवार कराया गया। इसमें महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, यौन अपराध में साक्ष्य संकलन, फॉरेन्सिक साक्ष्य संकलन, डिजिटल साक्ष्य संकलन इत्यादि विषयों पर 300 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं हिंसा यथा बालात्कार (पॉक्सो सहित) के काण्ड के शीघ्र उदभेदन एवं निष्पादन हेतु SAEC Kits के सम्बन्ध में 146 अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय को प्रशिक्षित किया गया है।

3. सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी एवं सी0बी0 टीम प्रभारी को दिनांक 23.11.2022 को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान, पॉक्सो एक्ट, जे0जे0 एक्ट एवं आइ0टी0पी0एक्ट0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

   इसके अतिरिक्त बाल संरक्षण हेतु बालको के विरुद्ध लैंगिक अपराध, विधि विरुद्ध बालको के संरक्षण, किशोर न्याय, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम इत्यादि से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया।

➤ वर्ष 2021, वर्ष 2022 तथा 2023 के माह मई तक पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित आँकडे

वर्ष	प्रतिवेदित काण्डों की संख्या	आरोप पत्र समर्पित काण्डों की संख्या	मुआवजा हेतु भेजे गये प्रस्ताव
वर्ष 2021	1508	1263	995
वर्ष 2022	1794	1552	889
वर्ष 2023 के मई माह तक	779	693	299

XXXXX